



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओ.टी.एस. परिसर के पास, जे.एल.एन. मार्ग, झालाना लिंक रोड.,
जयपुर (फोन एवं फैक्स नं. 0141-2719136)

क्रमांक पं. 6 ()/रा.सू.आ./संस्था/सलाहकार/2021/2651-59

दिनांक:- 06/09/2021

कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य सूचना आयोग में सलाहकारी सेवाओं (कन्सलेटेन्सी सर्विसेज) हेतु सलाहकारों (कन्सलेन्ट्स) के सूचीकरण के लिये कार्यालय पत्रांक 2304 दिनांक 06.08.2021 द्वारा अभिरुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) जारी की गई थी। सूचीकरण हेतु गठित समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु उपस्थित आवेदकों में से श्री गोविन्द लाल गोयल, सेवानिवृत् अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, जयपुर का चयन किया जाकर परिशिष्ठ-II में अंकित शर्तों पर 31.03.2022 तक के लिए सलाहकारी सेवाओं के लिए नियुक्ति प्रदान की जाती है, जो भविष्य में आपसी सहमति से बढ़ायी जा सकती है। परिशिष्ठ-II के बिन्दु संख्या 5 (सी) के अनुसार कन्सलेन्ट की नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई (non official) प्रकृति की है तथा संतोषजनक सेवा के अभाव में सलाहकार की नियुक्ति को किसी भी समय बिना किसी कारण दर्शाए निरस्त किया जा सकता है।

उपरोक्त नियुक्त सलाहकार आयोग कार्यालय में आगामी सात दिवस में स्वयं की उपस्थिति देंगे व सेवा शर्तों के संबंध में रुपये 500/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा प्रस्तुत करेंगे !

— ५० —

(प्रियंका गोस्वामी)

सचिव

राजस्थान राज्य सूचना आयोग

जयपुर

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय।
2. निजी सचिव, माननीय सूचना आयुक्त-द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम संबंधित सलाहकार
3. प्रोग्रामर को भेज कर लेख है कि उक्त आदेश को उपापन पोर्टल व आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
4. लेखाकार
5. रक्षित पत्रावली

सचिव

राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर